रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122025-268303 CG-DL-E-07122025-268303

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 799]

नई दिल्ली, रिववार, दिसम्बर 7, 2025/अग्रहायण 16, 1947 NEW DELHI, SUNDAY, DECEMBER 7, 2025/AGRAHAYANA 16, 1947

No. 7991

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2025

सं. 07/2025-सीमा शुल्क (सीवीडी)

सा.का.िन. 885(अ).— जहां कि मलेशिया में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास" (एतद्पश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7007 19 00 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2021-सीमा शुल्क (सीवीडी), दिनांक 9 मार्च, 2021, जिसे सा.का.िन. 163 (अ), दिनांक 9 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए काउंटरवेलिंग ड्यूटी को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज़्ड वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतद्पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 24 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (6) के अनुसार प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/10/2025-डी.जी.टी.आर., दिनांक 24 जून 2025, जिसे दिनांक 24 जून 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण,

8218 GI/2025 (1)

के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (6) के अनुसार उक्त काउंटरवेलिंग ड्यूटी को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 20 और 24 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2021-सीमा शुल्क (सीवीडी), दिनांक 9 मार्च, 2021, जिसे सा.का.िन. 163(अ), दिनांक 9 मार्च, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, इसमें निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के तहत लगाई गई काउंटरवेलिंग ड्यूटी दिनांक 8 जून, 2026 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है, लागू रहेगी।"।

[फा. सं. 190354/134/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा. अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 3/2021-सीमा शुल्क (सीवीडी), दिनांक 9 मार्च, 2021, जिसे सा.का.िन. 163(अ), दिनांक 9 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2025

No. 07/2025-Customs (CVD)

G.S.R. 885(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/10/2025-D.G.T.R., dated the 24th June, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 24th June, 2025, has initiated review in terms of sub-section (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 24 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of countervailing duty on imports of "Textured Tempered Glass" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 7007 19 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from Malaysia (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 3/2021-Customs(CVD), dated the 9th March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 163(E), dated the 9th March, 2021, and has requested for extension of the said countervailing duty in terms of sub-section (6) of section 9 of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, read with rules 20 and 24 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 3/2021-Customs(CVD), dated the 9th March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 163(E), dated the 9th March, 2021, namely:-

In the said notification, after paragraph 2 and before *Explanation*, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the countervailing duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 8th June, 2026, unless revoked, superseded or amended earlier.".

[F. No. 190354/134/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 3/2021-Customs (CVD), dated the 9th March, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 163(E), dated the 9th March, 2021.